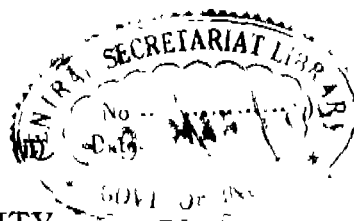


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 1976 फाल्गुन 8, 1897
No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 1976/PHALGUNA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th February 1976

S.O. 145 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Ninth Amendment Order, 1976.
2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, the following sub-item shall be added after item No. 14(xv) :—
“(xvi)—Magnesite”.
3. In the Exports (Control) Order, 1968, in O.G.L. 3, after item No. 60 the following shall be added :—

I	2	3	4
61.	Magnesite	B.14(xvi)	1. Export of Calcined Magnesite with a silica content of 9% and above alone shall be allowed on production of a certificate from Export Inspection Agency that silica content in Calcined Magnesite is not below 9%. 2. Export of raw, dead burnt, and Calcined magnesite having silica below 9% shall not be allowed.

[No. E(C)O, 1968/AM(188)]

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1976

का० आ० 145 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, जैसे:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) नौवां संशोधन आदेश, 1976 की सजा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 के लिये अनुसूची-1 के भाग 'बी' में मद संख्या : 14 (15) के बाद निम्नलिखित उप-मद को जोड़ा जाएगा :—
“(16) मैगनी साइट।”
3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में, सामान्य खुले लाइसेंस 3 में, मद संख्या 60 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
61	मैगनीसाइट	बी० 14(16)	1.9 प्रतिशत और इसमें अधिक की मात्रा वाले सिलिका काल्सीनायड मैगनीसाइट के निर्यात की स्वीकृति निर्यात जांच अभिकरण से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि काल्सीनायड मैगनीसाइट में सिलिका की मात्रा 9 प्रतिशत से कम नहीं है। 2.9 प्रतिशत से कम मात्रा वाले कच्चा, मृत, जले हुए और काल्सीनायड मैगनीसाइट के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

[संख्या ६६(सी) ओ, 1968/ए एम (188)]

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।